सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 चैत्र, 1948 (श०)

संख्या - 167 राँची, शुक्रवार, 17 अप्रैल, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

अधिसूचना

24 मार्च, 2026

संख्या- 02/नि0सं0-12-53/2014 का.- 1836--श्री मुकेश कुमार, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-211/20), भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राँची ने W.P.(S) No. 4979/2023 मुकेश कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 22.08.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय संकल्प सं० 1694, दिनांक 10.04.2019 द्वारा उनके विरूद्ध अधिरोपित दण्ड को विलोपित किये जाने के फलस्वरूप भूतलक्षी प्रभाव से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि तथा अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान करने हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया ।

2. उल्लेखनीय है कि श्री मुकेश कुमार झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के तृतीय बैच के पदाधिकारी हैं। इन्होंने दिनांक 12.08.2010 को परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ता के पद पर योगदान दिया है तथा सम्प्रती अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राँची के पद पर कार्यरत हैं ।

3. श्री कुमार के विरूद्ध मनरेगान्तर्गत विभिन्न योजनाओं में अनियमितता बरतने संबंधी कुल 14 आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं० 10157, दिनांक 25.09.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी ।

4. उपरोक्त विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप सम्यक समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं० 1694, दिनांक 10.04.2019 द्वारा संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

5. उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में याचिका W.P.(S) No. 4979/2023 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 22.08.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है-

"12. In view of the aforesaid findings, the impugned order dated 23.08.2023 (Annexure12), deserves to be, and is hereby, quashed and set aside. The respondents are directed to issue necessary order for consequential benefit which will accrue pursuant to nullifying of the impugned order. The consequential order shall be passed by the concerned respondents within a period of twelve weeks from the date of receipt/production of copy of this order.

13. Consequently, the instant writ application stands allowed in the manner indicated herein above. Pending I.As., if any also closed."

6. माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्यायादेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में LPA No. 258/2025 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम मुकेश कुमार दायर किया है, जो सम्प्रति विचाराधीन है ।

7. W.P.(S) No. 4979/2023 में दिनांक 22.08.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु श्री कुमार के द्वारा Cont.Ca se(Civil) No. 886/2025 मुकेश कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया है ।

8. W.P.(S) No. 4979/2023 में दिनांक 22.08.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में कार्रवाई करते हुए श्री मुकेश कुमार के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-23694, दिनांक 23.08.2023 द्वारा अधिरोपित "असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड" को विभागीय संकल्प संख्या 73(HRMS), दिनांक 05.01.2026 द्वारा विलोपित किया गया, जो LPA No. 258/2025 के अंतिम फलाफल से प्रभावित होगा ।

9. तदोपरांत श्री कुमार के द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि तथा अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया ।

10. श्री मुकेश कुमार, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-211/20), भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राँची को प्रदत्त प्रोन्नति के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत है:-

(i) मूल कोटि से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु दिनांक 24.12.2020 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में श्री मुकेश कुमार के संबंध में निम्न अनुशंसा की गई थी :-

"विभागीय संकल्प संख्या 1694 दिनांक 10.04.2019 द्वारा अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड दिनांक 30.06.2021 तक प्रभावी रहने के कारण प्रोन्नति के अयोग्य"

(ii) तदोपरांत उपरोक्त दण्ड का प्रभाव समाप्त होने के उपरांत दिनांक 07.11.2022 को मूल कोटि से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में किये गये अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-8001 दिनांक 14.12.2022 द्वारा श्री कुमार को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गयी है ।

11. W.P.(S) No. 4979/2023 मुकेश कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.08.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में कार्रवाई करते हुए श्री मुकेश कुमार के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-23694, दिनांक 23.08.2023 द्वारा अधिरोपित "असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड" को सशर्त रूप से विभागीय संकल्प संख्या 73(HRMS), दिनांक 05.01.2026 द्वारा विलोपित किया गया ।

12. विदित हो कि श्री मुकेश कुमार, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-211/20) से कनीय श्रीमती सागरी बराल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 212/20) को विभागीय अधिसूचना सं0 3539 दिनांक 08.06.2022 द्वारा दिनांक 24.12.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान PB-II 15600-39100 GP 6600, पुनरीक्षित वेतनमान-पे मैट्रिक्स लेवल-11) में प्रोन्नति प्रदान की गई है ।

13. विभागीय संकल्प संख्या 73(HRMS), दिनांक 05.01.2026 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध अधिरोपित दण्ड को सशर्त रूप से विलोपित कर दिये जाने के फलस्वरूप श्री कुमार अपने

से कनीय श्रीमती सागरी बराल को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि दिनांक 24.12.2020 से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति के योग्य होंगे।

14. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58(क) के अनुसार इन नियमों में खासतौर पर रखे गये अपवादों ओर इस नियम के खण्ड (ख) के अधीन रहते हुए सरकारी सेवक अपने पद से वेतन एवं भत्ते उस तारीख से लेना शुरू करेगा, जिस तारीख को वह अपने पद का कार्य-ग्रहण करे, और ज्यों ही वह उन कार्यों का सम्पादन बंद कर दे, त्योंही वह उसे लेना बंद कर देगा ।

बिहार वित्त नियमावली के नियम 74 के अनुसार वेतन पुनरीक्षण या सरकारी सेवकों को रियायतें मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक खास परिस्थिति न हो, तबतक सरकार विशेष अनुमोदन के बिना वित्तीय मंजूरी को भूतलक्षी प्रभाव न दिया जाय ।

15. अतः उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री मुकेश कुमार, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-211/20) को उनसे कनीय श्रीमती सागरी बराल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 212/20) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान PB-II 15600-39100 GP 6600, पुनरीक्षित वेतनमान-पे मैट्रिक्स लेवल-11) में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि 24.12.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

-झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 तथा बिहार वित्त नियमावली के नियम 74 के आलोक में श्री कुमार को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समक्क्ष कोटि के पद पर प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ विभागीय अधिसूचना संख्या-8001 दिनांक 14.12.2022 के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रभार ग्रहण की तिथि से देय होगा ।

16. यह प्रोन्नति याचिका संख्या W.P. (S) No. 4357/2020 समीर कच्छप एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा W.P.(S) No. 3792/2016 अमरेन्द्र सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम न्याय निर्णय के फलाफल से प्रभावित होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरू,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 167 - 50